(वाद संख्या–5407/17)

15.10.2019

परिवादी रीना देवी अपने पति दिनेष ऋषिदेव, के साथ उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना व पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामला, परिवादी द्वारा उसके नैहर के ग्रामीण लाल साह, रेषमी कुमारी, राजेष कुमार साह, संतोष कुमार साह व अन्य चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसे जाति सूचक शब्द कहकर गाली–ग्लौज करने, छेड़खानी करने, उसकी हत्या के प्रयत्न के क्रम में उसपर वार करने, उससे दो लाख रुपये रंगदारी मांगने व उसके पति के साथ मार–पीट कर उसके गले से सोने का चैन छीन लेने से संबंधित है।

अपने प्रतिवेदन में पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी का उसके मित्र रेषमी कुमारी के परिवार के साथ पूर्व से विवाद है जिसमें ग्रामीणों द्वारा हस्तक्षेप कर मामले को शांत करा दिया गया है, जिसका समर्थन स्थानीय मुखिया मनोज कुमार प्रभाकर, जो रिष्ते में परिवादी के देवर भी है, द्वारा भी किया गया है कि परिवादी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि उसने लाल साह व उसके पुत्रों सहित कुल नौ व्यक्तियों के विरूद्ध भा0 द0 स0 की धाराओं 147/148/149/323/504/ 380/384/354बी व अनु0जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत ग्वालपाड़ा (अरार) थाना कांड संख्या–66/19, दिनांक–05.04.2019 संस्थित किया गया है। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि उपरोक्त कांड के अनुसंधान में रंजन उर्फ सिहना यादव, अजय यादव व विभीषण यादव के विरूद्ध उनकी संलिप्तता को सत्य पाया गया है, जबकि लाल साह व उनके तीनों पुत्रों के विरूद्ध उनकी संलिप्तता को असत्य पाया गया है।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में पुलिस के समक्ष षिकायत की गयी है तथा प्रसंगाधीन मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। परिवादी परिवाद–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में संबंधित न्यायालय से विधिनुसार अनुतोष प्राप्त कर सकती है।

अतः उक्त परिस्थिति में आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है। तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक